(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1952–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–459/निग0/2006–07

.....

1– श्रीमती कुसुमकली पत्नी श्री सोहनलाल साकेत
2– श्रीमती रामरती पत्नी श्री सुखलाल साकेत
निवासीगण–ग्राम सदहना, तहसील–सिरमोर
जिला–रीवा(म0प्र0)

------आवेदिकागण

विरूद्ध

राजमन्ती पत्नी रामलाल साकेत
निवासी– ग्राम सदहना, तहसील–सिरमोर
जिला–रीवा(म0प्र0)

-------अनावेदिका

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/17 को पारित)

आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिकागण द्वारा ग्राम सदहना स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 11/3, 11/4 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा 10.04.2006 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष अनावेदिका द्वारा निगरानी पेश की। जहॉ अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 486/अ–5/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2007 से निगरानी स्वीकार की। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 459/निग0/2006–07 में दिनांक 17–10–2007 से निगरानी बलहीन होने से निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के समक्ष ग्राम सदहना स्थित आराजी नं0 11/3, 11/4 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार दिनांक 10.04.2006 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये । तहसीलदार द्वारा मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किये है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि के मौके की स्थिति एवं विक्रय पत्र की चौहद्दी को नजरअंदास कर नक्शा तरमीम के आदेश देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की है। नक्शा तरमीम की कार्यवाही मौके की स्थिति एवं विक्रय पत्र के आधार पर किया जाना चाहिया था । तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया है। इसी कारण अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2007 न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर,